पत्रांक-वि0प्र0(III)वि0-16/2017- 3021

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेषक,

हरजोत कौर बम्हरा,भा०प्र०से०
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्राचार्य,
अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थान,बिहार ।
परियोजना निदेशक,
बिहार काउन्सिल ऑन साईस एन्ड टेक्नोलॉजी,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 5-11-2018

विषयः- मासिक रोकड़ बही का लेखा मिलान बैंक स्टेटमेंट से नियमित रूप से किये जाने के संबंध में ।

प्रसंगः- वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्र सं0- एम-4-07/2017(खंड)-7838/वि0 दिनांक- 24.10.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार वित्त नियमावली के नियम 475 एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, 1958 के नियम 323 एवं 333 के अन्तर्गत लेखा मिलान एवं रोकड़ बही के संधारण से संबंधित व्यापक प्रावधान उल्लेखित है जिसका अनुपालन प्रशासी विभाग एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाना है ।

उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों के आलोक में आपको निदेशित किया जाता है कि
(1) मासिक रोकड़ बही का नियमित लेखा मिलान बैंक स्टेटमेंट से करते हुये रोकड़ बही में यह प्रमाण नियमित रूप से अंकित किया जाय कि **"रोकड़ बही की दैनिक प्रविष्टि का मिलान बैंक स्टेटमेंट से पूर्ण कर लिया गया है ।"**
(2) आपके द्वारा संधारित बैंक खातों की अंतः शेष सहित विस्तृत सूचना त्रैमासिक आधार पर प्राप्त कर विभाग के स्तर पर इस

Upload on website
6.11.18

Scanned by CamScanner

की समीक्षा कर यह सुनिश्चित हो लें कि अनावश्यक रूप से सरकारी राशि बैंक खातों में पड़ी हुई नही हो तथा अनावश्यक बैंक खातों को बंद कर उसमें संचित राशि को राज्य की समेकित निधि में जमा करा दिया गया हो ।

उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आपकी व्यक्तिगत जवाबदेही है जिसे ससमय किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

3/8/18

(हरजोत कौर बम्हरा)
प्रधान सचिव

Scanned by CamScanner